Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमंखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद संख्य-127/04

इश्वर चन्द्र यादव बनाम संजय कु.यादव एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
06/12/23	वादी एवम प्रतिवादी सं.3 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादी सं. 5 से 7 की ओर से दिनांक 27/06/22 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि इस विभाजन वाद में प्रतिवादी संख्या,5 6 एवं 7 मुख्य रूप से संघर्ष कर रहे हैं।वाद के अवलोकन से प्रतिवादी गण को ज्ञात हुआ कि इस वाद में वादी की गवाही हो चुकी है जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या,5 6 एवं 7 को नहीं थी और ना ही प्रतिवादिगण को वादी के शपथ पूर्ण बयान के संबंध में कोई जानकारी थी ना ही शपथ पूर्ण बयान की प्रति प्रतिवादीगण को दी गई थी जिस कारण से प्रतिवादीगण के द्वारा वादी का प्रति परीक्षण नहीं किया जा सका।न्याय हित में प्रतिवादी गण को वादी साक्षी क्रमांक दो वादी के परीक्षण प्रति किए जाने की अनुमति प्रदान करने कीकृपा की जाए। वादी के द्वारा उक्त आवेदक का प्रति उत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रति प्रशिक्षण हेतु विद्वान अधिवक्ता प्रतिनियुक्ति किए गए थे परंतु प्रतिवादी गण की ओर से वादी साक्षी क्रमांक 2 का प्रति परीक्षण नहीं किया गया। वादी के द्वारा यह आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिस कारण से वादी का यह आवेदन विधि के अंतर्गत पोणीय ना होने से खारिज किए जाने योग्य है। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी साक्षी संख्या दो का दिनांक14 जून 2007 को आंशिक एवं दिनांक 16 जून 2007 को प्रतिपरीक्षण पूर्ण कर मुक्त किया गया है। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 5,6,7 मुख्य रूप से संघर्ष कर रहे हैं ऐसी दशा में न्याय हित में उक्त प्रतिवादी गण को साक्षी संख्या दो का प्रति परीक्षण करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अत : प्रतिवादी गण की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदक को न्याय हित में₹200 खर्च पर स्वीकृत कर प्रति परीक्षण किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।खर्चा वादी को देय होगा।वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह आगामी दिनांक13 दिसंबर 2023 को उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमंखी पूर्णिया ,बिहार	